भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4109

18.08.2025 को उत्तर के लिए

वेम्बनाड झील के लिए संरक्षण और बहाली के उपाय

4109. एडवोकेट के. फ्रांसिस जॉर्जः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना (एनपीसीए) या किसी अन्य केन्द्रीय योजना के अंतर्गत वेम्बनाड झील के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए केरल को कोई वित्तीय या तकनीकी सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत परियोजनाओं, आबंटित निधियों और उनके वर्तमान कार्यान्वयन की स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार केरल राज्य सरकार, स्थानीय निकायों और वैज्ञानिक संस्थानों के सहयोग से वेम्बनाड झील के पारिस्थितिकी संबंधी स्वास्थ्य को बहाल करने और आश्रित समुदायों की आजीविका की रक्षा करने के लिए एक व्यापक पुनरुद्धार कार्य योजना तैयार करने का विचार रखती है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना (एनपीसीए) के तहत, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान वेम्बनाड-कोल आर्द्रभूमि परिसर के संरक्षण और प्रबंधन हेतु 140.75 लाख रुपये की एक प्रबंधन कार्य योजना (एमएपी) अनुमोदित की गई थी। केरल राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वेम्बनाड-कोल की अनुमोदित एमएपी के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों पर अब तक कुल 114.77 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं और परियोजना का कार्यान्वयन अंतिम चरण में है।

(ग) केरल राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, एनपीसीए के दिशानिर्देशों के अनुसार अगले पाँच वर्षों के लिए स्थानीय स्वशासन संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) और वैज्ञानिक संस्थानों के परामर्श से वेम्बनाड-कोल आर्द्रभूमि परिसर के लिए एकीकृत प्रबंधन योजना (आईएमपी) तैयार की गई है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, मंत्रालय में विचार किए जाने से पहले आईएमपी को राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

*****